कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

——

क्रमांक / 2564 / 126 / शासन / तक / 2002 भोपाल, दिनांक 11.10.2002

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश
जिला पंजीयक (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प) समस्त
मध्यप्रदेश

विषयः भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 49 एवं 52 से 55 अंतर्गत स्टाम्प रिफण्ड के प्रकरणों में हो रहा विलम्ब।

——00——

जिलो के निरीक्षण के दौरा यह पाया गया कि जिला पंजीयक कार्यालयों में भारतीय⁄स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 49 तथा धारा 52 से 54 के अंतर्गत अनुपयोगी स्टाम्पों के मूल्य की वापसी के प्रकरण अत्यधिक संख्या में लंबित हैं। अधिनियम की धारा 49 तथा धारा 52 से 54 में ऐसे स्टाम्पों का मूल्या या 90% या 100% मूल्य जनता को वापस करने की सुविधा प्रदत्त की गयी है, यदि उक्त स्टाम्पों को खरीदने के पश्चात् उसका उपयोग नहीं किया गया है, या स्टाम्प खराब हो गये हों एवं उपयोग नहीं की गई हो, बशर्ते कि स्टाम्पों के मूल्य की वापसी का आवेदन धारा 50, 52 अथवा 54 में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत पेश कर दिया गया हो।

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–2 क्रमांक एक के अंतर्गत स्टाम्प रिफण्ड के प्रकरणों को शीर्ष क्रमांक क्रमांक सी–132 में दर्ज किया जाता है। आवेदकों को स्टाम्प मूल्य की वापसी करने के संबंध में विधिवत् निर्णय करने के पूर्व जिन तथ्यों के संबंध में संतुष्टि करना आवश्यक है, वह धाराओं में स्पष्टतः अंकित है। इन प्रकरणों में वांछित जानकारी स्टाम्प कागज के निरीक्षण, स्टाम्प वेण्डर द्वारा प्रकरणों में तत्काल ही निर्णय लिया जा सकता है, इसके बावजूद यह देखा जा रहा है कि कई जिलों में इन प्रकरणों को न्यायालयीन प्रकरण मानकर व्यवहार वाद संहिता के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया अपनाकर लंबित रखा जाता है एवं दीर्ध अवधि के लिए सुनवाई तथा गवाह / दस्तावेज पेश करने की तिथि निश्चित की जाती है, जिसके कारण कई प्रकरण तो वर्षों तक लंबित रखे गये हैं, जबकि आवेदक ने पूर्ण राशि पटाकर स्टाम्प खरीदे हैं एवं कानून में यह राशि या उसका 90% वापिस प्राप्त करने की सुविधा उन्हें दी गई है। संदर्भित धाराओं के प्रावधान तथा स्टाम्प मैनुअल के अध्याय IV की कंडिका 1 से 4 में कहीं भी यह अनुदेश नहीं दिये गये हैं जिसके कारण प्रकरण में विलम्ब करना आवश्यक हो। मध्यप्रदेश स्टाम्प अधिनियम 1942 के नियम

20 में उल्लेखित कार्यवाही की आवश्यकता केवल विवादित प्रकरणों के लिये ही आवश्यक है, प्रायः सभी प्रकरणों में कोई भी विवाद नहीं रहता है। विवादित प्रकरणों में भी यदि शपथपत्र या कथन आवश्यकता हो तो वह आवेदन प्राप्त करने के समय लिये जा सकते हैं।

जिला पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अधिकांश प्रकरण धारा 54 के अंतर्गत पेश होते हैं, जिसमें आवेदक द्वारा स्टाम्प खरीदने के पश्चात् उनका उपयोग न करते हुए उसकी राशि की वापसी हेतु आवेदन दिया जाता है एवं अधिनियम के प्रावधान अनुसार 10% राशि काटकर शेष राशि वापस करने या स्टाम्प के समतुल्य राशि का अन्य स्टाम्प के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। इन प्रकरणों में जिला पंजीयक को जिन बिन्दुओं का ध्यान रखना है वह स्टाम्प पेपर के अवलोकन तथा स्टाम्प वेण्डर द्वारा अंकित जानकारी से ही स्पष्ट हो जाते हैं। अतः कोई कारण नहीं है कि ऐसे प्रकरणों में भी सम्पूर्ण आवश्यक जानकारी स्टाम्प पेपर का अवलोकन तथा आवेदक का बयान/आवेदन पत्र में दिये गये तथ्य से स्पष्ट हो सकती है।

यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिला पंजीयक या मुद्रांक संग्राहक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 49 एवं 52, से 55 के प्रकरणों में जब विचार कर निर्णय लिया जाता है, तब न तो जिला पंजीयक ''न्यायालय'' न जाता है और न ही उन्हें न्यायालय के रूप में संरक्षण प्राप्त है।

कृपया सुनिश्चित करें कि कोई भी स्टाम्प रिफण्ड के प्रकरण में आदेश पारित करने के लिए 7 दिवस से अधिक समय न लगे जिससे कि नागरिकों को विधि द्वारा दी गयी सुविधा से विलम्ब के द्वारा वंचित न किया जाय। यदि आवेदन विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है तो समयावधि में ही उसे निरस्त किया जाय। समस्त प्रकरणों में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि संबंधित मुद्रांक किस स्टाम्प वेंडर द्वारा बिक्री की गई है एवं क्या उसी जिले में खरीदे गये हैं। किसी भी स्थिति में अन्य जिले के स्टाम्प बेंडरों का मुद्रांक या अन्य जिलों से प्राप्त स्टाम्प के लिये रिफंड नहीं दिया जावेगा। जिन जिलो में अधिक संख्या में प्रकरण लंबित है उनमें जिला पंजीयक कृपया अभियान के रूप में इन प्रकरणों का निराकरण करें एवं यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 31 दिसम्बर 2002 की स्थिति में कोई भी इस प्रकार के प्रकरण 7 दिवस से अधिक समय के लिये लंबित न रहे।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश